

प्रेस नोट साईबर क्राइम सेल बरेली ।

साईबर क्राइम सेल बरेली द्वारा श्री देवेश कुमार पुत्र श्री दौलत राम नि० ग्राम मढ़ौली थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली के साईबर ठगों द्वारा ठगे गये 30,000 रूपये की वापसी।

जनपद बरेली में बढ़ते हुए साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली महोदय द्वारा जनसामान्य को समय-समय पर जागरूक तथा साईबर सेल को आवश्यक/त्वरित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। दिनांक 27.07.2022 को श्री देवेश कुमार पुत्र श्री दौलतराम नि० ग्राम मढ़ौली थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बरेली महोदय के कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी कि उनके ग्राम प्रधान के फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को पंचायत विभाग का अधिकारी बताकर प्रधान जी को गाँव में नल लगाने हेतु निधि प्रधान करने के लिये गूगल पे का नम्बर मांगा। ग्राम प्रधान द्वारा गूगल पे इस्तेमाल न करने के कारण श्री देवेश कुमार उपरोक्त का गूगल पे नम्बर दे दिया गया। जिसके पश्चात अज्ञात व्यक्ति द्वारा श्री देवेश कुमार को भ्रमित कर उनके गूगल-पे से 80,000 रूपये निकाल लिये थे।

उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बरेली द्वारा तत्काल साइबर सेल को त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जिसके उपरान्त साईबर क्राइम सेल द्वारा प्रकरण का संज्ञान लेते हुये पुलिस अधीक्षक, अपराध महोदय के निर्देशन में तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गयी जिसके परिणामस्वरूप आवेदक की निकली धनराशि में से तीस हजार रूपये (30,000 रू०) दिनांक 29.07.2022 को आवेदक के खाते में वापस करवाये गये।

वापस करायी गयी धनराशि का विवरण:- तीस हजार रूपये (30000.00 रू०)

साईबर क्राइम टीम के सदस्य:-

1. उ०नि० श्री श्याम सिंह, प्रभारी साईबर क्राइम शाखा, बरेली।
2. उ०नि० श्री रवि कुमार, साईबर क्राइम शाखा, बरेली।
3. हे०कां० गिरिजेश पोसवाल, साईबर क्राइम शाखा, बरेली।
4. कां० सचिन कुमार, साईबर क्राइम शाखा, बरेली।
5. कां० अरूण कुमार, साईबर क्राइम शाखा, बरेली।
6. कां० शिवम कुमार, साईबर क्राइम शाखा, बरेली।

किसी भी अनजान व्यक्ति से अपना खाता संख्या, पिन, ओटीपी, सीवीवी नम्बर इत्यादि साझा ना करें। खाते से धोखाधड़ी से पैसा निकलने की दशा में तुरंत 1930 पर कॉल अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल <https://cybercrime.gov.in/> पर शिकायत दर्ज करें।